"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



Seen
27/3/09

27-3-09

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

27/03/09

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2009—चैत्र 6, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री विकासशील, भा. प्र. से. (सीजी-1994) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से कलेक्टर, बिलासपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री के. आर. पिस्दा, भा. प्र. से. (1996) कलेक्टर, उत्तर बस्तर (कांकेर) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, मंत्रालय, पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. श्री सोनमणि बोराह, भा. प्र. से. (सीजी-1999), कलेक्टर, बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

4. सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (सीजी-2001) संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से कलेक्टर, उत्तर बस्तर (कांकेर) पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

क्रमांक 204/51/2009/1-8/स्था.—श्री बी. रामेश्वर राव, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 17-2-2009 से 28-2-2009 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. रामेश्वर राव को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. रामेश्वर राव अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

क्रमांक 206/112/2009/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 16-2-2009 से 20-2-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

क्रमांक 248/105/2009/1-8/स्था.—श्री बी. रामेश्वर राव, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 31-12-2008 से 2-1-2009 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 3-1-2009 से 9-1-2009 तक 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. रामेश्वर राव को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. रामेश्वर राव, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2009

क्रमांक 252/139/2009/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार दवे, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 13-4-2009 से 30-4-2009 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए विदेश (यूरोप) प्रवास की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार दवे को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार दवे अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

फा. क्र. 1694/3 (बी)/30/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 30).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अगम कुमार कश्यप, आत्मज-श्री निरंजन कुमार वर्मा को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

फा. क्र. 1696/3 (बी)/52/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 52).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मोहन सिंह कोर्राम, आत्मज-श्री सुखु राम कोर्राम को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

फा. क्र. 1698/3 (बी)/31/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 31).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री श्रीनिवास तिवारी, आत्मज-श्री श्याम सुंदर शर्मा को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

फा. क्र. 1700/3 (बी)/1/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री संतोष शर्मा, आत्मज-श्री ईश्वर दयाल शर्मा को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 16750-400-19150-450-20500 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्र. 1652/663/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 87/गोप./09/दो-2-16/2001, दिनांक 27-02-09 के परिपेक्ष्य में श्री अशोक कुमार पाठक, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की सेवाएं छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

जल संसाधन (आयाकट) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक 3-1/09/आया/40.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 4/आर-419/2002/आया-40, दिनांक 03-01-2003 को प्रतिसंहृत करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा संभागीय आयुक्तों के अस्तित्वों में आ जाने के कारण सम्पूर्ण अधिकार एवं दायित्व मुख्य अभियंताओं से वापस लेकर संभागीय आयुक्तों को प्रत्यायोजित करते हुए, दर्शाये गये प्राधिकरणों का अध्यक्ष घोषित करता है :—

स. क्र.	प्राधिकरण का नाम	वर्तमान अध्यक्ष.	संभागीय आयुक्तों का नाम
1.	महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ. ग.)	अध्यक्ष एवं मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर.	अध्यक्ष/आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर
2.	हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, बिलासपुर.	अध्यक्ष एवं मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना.	अध्यक्ष/आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

क्रमांक/एफ-19-63/2009/25-2/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय आदेश क्रमांक/6793/1524/25-2/आजावि/05 दिनाक 25-7-07 को अतिष्ठित करते हुए श्री ए. मिंज, सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान कर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर, रायपुर नियुक्त करता है.

2. श्री ए. मिंज की संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 में उल्लेखित प्रावधानों तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

(1) संविदा नियुक्ति वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होकर एक वर्ष के लिए होगी.

(2) सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता (यदि देय हो) के योग में से पेंशन एवं पेंशन पर देय राहत की राशि घटाकर जो राशि बचेगी, एकमुश्त वेतन के रूप में देय होगी, पेंशन एवं पेंशन पर देय राहत की पात्रता अलग से होगी. इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी.

(3) संविदा नियुक्ति की अवधि में संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अस्थाई शासकीय सेवक के समान अवकाश की पात्रता होगी.

(4) संविदा नियुक्ति पर यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी, जैसा कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी.

(5) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

(6) संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

(7) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी.

(8) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी. उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी.

3. उपर्युक्त संविदा नियुक्ति के लिए वित्त विभाग के यु. ओ. क्रमांक-96/25630/बी-3/चार दिनांक 24 फरवरी, 2009 से सहमति प्रदान की गई है.

4. श्री ए. मिंज, सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा के द्वारा इस संविदा नियुक्ति के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर, रायपुर का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से डॉ. अनिल चौधरी, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग केवल छत्तीसगढ़ राज्य के वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर के प्रभार से मुक्त हो जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

क्रमांक/एफ-1-12/2009/25-1/आजावि.—सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर आने की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, बस्तर जिला मुख्यालय तथा सरगुजा जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के 02 क्षेत्रीय कार्यालय 1 अप्रैल, 2009 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्त्तव्य, अधिकार एवं अधिकार क्षेत्र, पद संरचना, बजट प्रावधान तथा अन्य अनुषांगिक व्यवस्थाओं आदि के आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

क्रमांक/एफ-16-3/2009/25-2/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, आदिवासी लोक कलाओं व लोक बोलियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय शोध केन्द्र 01 अप्रैल, 2009 से रायपुर मुख्यालय में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उपर्युक्त शोध केन्द्र के कर्त्तव्य, पद संरचना, बजट प्रावधान तथा अन्य अनुषांगिक निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक एफ 8-2/2008/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमि., रायपुर के बॉयलर क्रमांक एम. आर./8588 को दिनांक 04-03-09 से 19-04-09 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2009

क्रमांक एफ 8-5/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि., चांपा के बॉयलर क्रमांक एम. पी./4300 को दिनांक 09-02-09 से 08-04-09 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक 352/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2009.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय सिंह, जो प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 25-02-2009 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कम्पनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

1. पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 482/विसऊ/13-1/2008 दिनांक 31-12-2008 के अनुसार श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन इस कंपनी में निदेशक के पद पर नियुक्त थे. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2 दिनांक 23-02-2009 के अनुसार वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, ऊर्जा, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, तदानुसार वे पदेन निदेशक के पद पर दिनांक 25-02-2009 से आगामी आदेश तक नियुक्त रहेंगे.

2. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2, दिनांक 23-02-2009 के अनुसार वर्तमान में श्री विवेक कुमार ढॉड, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं पदेन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रभार में हैं. अत: श्री विवेक ढॉड जो छत्तीसगढ़ पॉवर होल्डिंग कंपनी के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक 354/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2009.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय सिंह, जो प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 25-02-2009 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कम्पनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

1. पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 490/विसऊ/13-1/2008 दिनांक 31-12-2008 के अनुसार श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन इस कंपनी में निदेशक के पद पर नियुक्त थे. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2 दिनांक 23-02-2009 के अनुसार वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, ऊर्जा, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, तदानुसार वे पदेन निदेशक के पद पर दिनांक 25-02-2009 से आगामी आदेश तक नियुक्त रहेंगे.

2. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2, दिनांक 23-02-2009 के अनुसार वर्तमान में श्री विवेक कुमार ढॉंड, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं पदेन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रभार में हैं. अतः श्री विवेक ढॉंड जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक 356/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2009.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय सिंह, जो प्रमुख सचिव (वित्त) छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 25-02-2009 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कम्पनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

1. पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 484/विसऊ/13-1/2008 दिनांक 31-12-2008 के अनुसार श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन इस कंपनी में निदेशक के पद पर नियुक्त थे. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2 दिनांक 23-02-2009 के अनुसार वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, ऊर्जा, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, तदानुसार वे पदेन निदेशक के पद पर दिनांक 25-02-2009 से आगामी आदेश तक नियुक्त रहेंगे.

2. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2, दिनांक 23-02-2009 के अनुसार वर्तमान में श्री विवेक कुमार ढॉंड, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं पदेन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रभार में हैं. अतः श्री विवेक ढॉंड जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक 358/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2009.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय सिंह, जो प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 25-02-2009 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कम्पनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

1. पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 486/विसऊ/13-1/2008 दिनांक 31-12-2008 के अनुसार श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन इस कंपनी में निदेशक के पद पर नियुक्त थे. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2 दिनांक 23-02-2009 के अनुसार वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, ऊर्जा, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, तदानुसार वे पदेन निदेशक के पद पर दिनांक 25-02-2009 से आगामी आदेश तक नियुक्त रहेंगे.

2. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2, दिनांक 23-02-2009 के अनुसार वर्तमान में श्री विवेक कुमार ढांड, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं पदेन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रभार में हैं. अत: श्री विवेक ढांड जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक 360/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2009.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय सिंह, जो प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 25-02-2009 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कम्पनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

1. पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 488/विसऊ/13-1/2008 दिनांक 31-12-2008 के अनुसार श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन इस कंपनी में निदेशक के पद पर नियुक्त थे. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2 दिनांक 23-02-2009 के अनुसार वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, ऊर्जा, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, तदानुसार वे पदेन निदेशक के पद पर दिनांक 25-02-2009 से आगामी आदेश तक नियुक्त रहेंगे.

2. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2, दिनांक 23-02-2009 के अनुसार वर्तमान में श्री विवेक कुमार ढांड, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं पदेन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रभार में हैं. अत: श्री विवेक ढांड जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 28 फरवरी 2009

रा. प्र. क्र. 28 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	रक्से प. ह. नं. 57	0.234	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	खैरबना वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2009

क्रमांक/2324/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मटिया प. ह. नं. 16	0.81	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	बगदई एनीकेट योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2009

क्रमांक/2325/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मेढ़ा प. ह. नं. 21	1.54	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	सोनेसरार अर्जुनी मार्ग पर शिवनाथ नदी पर पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक 12/क/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	अमलडीहा प. ह. नं. 7	0.360	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 2, चाम्पा.	फरसवानी उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक 13/क/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	बुढ़ियापाली प. ह. नं. 79	0.874	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 2, चाम्पा.	लिमगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	जजगी प. ह. नं. 05	2.39	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग, क्रमांक 03, माचाडोली.	पूरक भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 13 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बंचर	1.821	कार्यपालन अभियंता, (सं/सा) छ. ग. रा. वि. मं., कोरबा.	विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 13 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	छुरीकला	0.542	कार्यपालन अभियंता, (सं/सा) छ. ग. रा. वि. मं., कोरबा.	विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	केराकछार	2.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	लिटियाखार जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	लिटियाखार	6.37	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	लिटियाखार जलाशय योजना के एप्रोच रोड कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मुरली	4.47	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	सलिहापारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	उतरदा	3.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	बनमुड़ा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

रा. प्र. क्र. 75/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	खैरी	1.11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ. ग.)	कपुआ-खैरी-सोढर मार्ग पर आगर सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक 01/अ-82/2008-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जांजी	0.55	महाप्रबंधक एन. टी. पी. सी., सीपत.	ताप विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि वोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक/1046/भू-अर्जन/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारां 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	कुम्हाररास	1.18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	कुम्हाररास जलाशय हेतु नहर/नाली निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 फरवरी 2008

क्रमांक 4 /भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	खजुरानी प.ह.नं. 11	1.437	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 03, सक्ती.	करौवाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 फरवरी 2008

क्रमांक 5 /भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	खम्हारडीह प.ह.नं. 11	0.299	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 03, सक्ती.	करौवाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्रमांक/1037/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	बरदेभाठा	9.78	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कांकेर.	नक्सली पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 2 मार्च 2009

डी-नोटिफिकेशन

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ/82/वर्ष 06-07/47.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के पत्र क्रमांक एफ/18-13/2005/11 (6) दिनांक 4-10-2008 द्वारा नीचे निर्दिष्ट अनुसूची के तहत औद्योगिक क्षेत्र धमतरी के लिए श्यामतराई में अधिग्रहित की जा रही नीजि भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ने के कारण डी-नोटिफिकेशन हेतु प्रकाशन किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	श्यामतराई प. ह. नं.-18	27.020	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धमतरी.	औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में आवश्यकता नहीं होने के कारण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक/289/23 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	पापरा प. ह. नं. 20	3.76	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बालोद.	मार्ग निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक/290/03 अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भीमपुरी प. ह. नं. 28	0.84	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, बालोद.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/291/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भालूकोन्हा प. ह. नं. 17	0.31	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	सराईटोला प. ह. नं. 39	1.921	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कुंजेमुरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण बाबत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	गारे प. ह. नं. 39	2.064	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कुंजेमुरा व्यपवर्तन योजना के तहत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुंजेमुरा प. ह. नं. 39	5.743	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कुंजेमुरा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर एवं डूबान हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	कूपाकानी प. ह. नं. 07	1.109	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कूपाकानी जलाशय योजना की बायीं तट नहर एल. बी. सी. चैन 0 से 60 तक का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	कूपाकानी प. ह. नं. 07	1.596	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कूपाकानी जलाशय योजना की दायीं तट नहर आर. बी. सी. चेन 0 से 60 तक का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	कूपाकानी प. ह. नं. 07	1.308	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कूपाकानी जलाशय योजना की शाखा नहर चैन 0 से 24 तक का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	सरडेगा प. ह. नं. 03	3.972	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	गहनाझरिया जलाशय योजना के डूब क्षेत्र का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	गहनाझरिया प. ह. नं. 03	7.580	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	गहनाझरिया जलाशय योजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	मोहनपुर प. ह. नं. 13	5.331	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	झगरपुर जलाशय योजना बायीं तट नहर आर. बी. सी. 0 से 117 तक का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	मोहनपुर प. ह. नं. 13	1.091	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	झगरपुर जलाशय योजना की बायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	देवगढ़ प. ह. नं. 33	0.453	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	देवगढ़ से बरमुड़ा मार्ग (डिग्गी नाला) पर उच्च स्तरीय सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	पतरापाली प. ह. नं. 33	0.477	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	मौहापाली - पतरापाली मार्ग पर पांझर नाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	मौहापाली प. ह. नं. 33	0.283	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	मौहापाली - पतरापाली मार्ग पर पांझर नाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बरकसपाली प. ह. नं. 31	0.303	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	कोलम बरकसपाली मार्ग पर पांझर नाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	कसडोल प. ह. नं. 36	0.032	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	तमनार - कसडोल, बंगुरसिया मार्ग पर केलो नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	कोलम प. ह. नं. 31	0.157	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	कोलम बरकसपाली मार्ग पर पांझर नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ,	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	मीलूपारा प. ह. नं. 30	0.154	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	तमनार-लैलूंगा मार्ग पर केलो नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	सक्ता प. ह. नं. 30	0.069	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	तमनार-लैलूंगा मार्ग पर केलो नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2009

क्रमांक 309/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 01 अ/82 वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	लालपुर प. ह. नं. 17/35	606	0.004	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	लालपुर उप नहर निर्माण हेतु.
			610	0.053		
			720	0.061		
			742	0.004		
			613	0.045		
			847	0.040		
			614	0.004		
			746/1	0.021		
			746/2	0.019		
			615	0.016		
			616	0.049		
			711	0.008		
			712	0.040		
			717	0.045		
			753/1	0.057		
			721	0.012		
			726	0.004		
			722	0.012		
			744/1	0.045		
			725/2	0.016		
			734	0.004		
			730	0.040		
			731	0.040		
			735	0.024		
			845	0.032		
			846	0.040		
			743/1	0.142		
			745	0.016		
			748 749	0.053		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			750/1	0.069		
			750/2	0.069		
			753/2	0.012		
			764/2	0.004		
			764/3	0.223		
			765/1	0.020		
			765/2	0.069		
			766	0.089		
			767	0.036		
			844	0.057		
			848/1 848/2	0.053		
			849	0.073		
		योग	43	1.720		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 19 अगस्त 2008

क्रमांक/128/भू-अर्जन/अ. वि. अ. /04-अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-सांकरा, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100	0.30
103	0.08
105	0.01
104	0.30
106	0.12
107	0.24
108	0.32
110/2	0.04
142	0.16
479/1	0.03
526	0.04
559	0.12
143	0.12
183	0.48
144	0.54
178	0.14
146	0.15
147	1.05
468	0.90
465	0.13
466	0.10
562	0.13
477	0.02
482	0.01
478	0.19
481	0.02

	(1)	(2)
	479/3	0.05
	479/4	0.01
	479/5	0.01
	479/6	0.07
	479/7	0.06
	479/8	0.01
	483	0.01
	495	0.01
	496/2	0.02
	561/1	0.12
	560/1	0.12
	528	1.05
	527	0.10
	560/2	0.01
	560/3	0.04
	560/4	0.02
	560/5	0.03
	561/3	0.01
	561/4	0.05
	563	0.12
योग	46	7.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक पुल किमी. 156/10 के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 16 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हैयाभाठा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.25 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
356/1	0.01
356/2	0.01
322	0.50
356/3	0.01
356/4	0.01
356/5	0.01
356/6	0.01
356/7	0.02
356/8	0.02
356/9	0.02
330	0.30
332	0.66
356/10	0.02
356/11	0.02
356/2	0.20
354/1 क, 354/1 ख, 354/1 ग	0.85
331/1	0.20
331/2	0.56
325/1, 326/1	0.06
319/5	0.05
325/5, 326/5	0.09
319/3	0.10
325/2, 326/2	0.30
325/4, 326/4	0.09
321/2	0.12
319/2	0.05
325/6, 326/6	0.09
319/4	0.05
328	0.46
329	0.29
323	0.24
324/1	0.37
320	0.34
324/2	0.37

(1)	(2)
319/1	0.05
321/1	0.12
325/3, 326/3	0.58
योग 37	7.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगदेई व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 मार्च 2009

क्रमांक/431/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-जजगी, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.39 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
332/1	0.54
332/2	0.54
333/1	0.26
333/2	1.05
योग 4	2.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 28 फरवरी 2009

रा. प्र. क्र. 27 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोतिमपुर, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.047 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
13/1	0.704
13/3	0.417
13/5	0.202
15/3	0.125

	(1)	(2)
	13/2	0.672
	13/4	0.417
	13/7	0.238
	15/2	0.125
	15/1	0.607
	14	0.057
	19, 20	1.514
	18/1	2.023
	21	0.142
	23	1.882
	24	1.335
	27	0.454
	26	0.603
	30/1	0.530
योग	18	12.047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना अंतर्गत नया मोतिमपुर ग्राम की बसाहट हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/7-अ/82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोपकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.734 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
156/3	0.004
162	0.142
163	0.089
247/1	0.008
249/3	0.028
250	0.040
251	0.049
252/1	0.036
286	0.049
288	0.028
252/2	0.077
252/3	0.073
252/5	0.045
285/1	0.026
325	0.097
332	0.008
285/3	0.027
285/2	0.008
287	0.069
305, 306	0.040
307	0.077
323/1	0.020
323/2	0.096
323/3	0.050
324/1	0.012
324/2	0.024
326	0.004
327	0.081
328	0.004
329/2	0.053
329/3	0.040
331/1	0.028
331/2	0.024
336/1	0.057
335/3	0.036
336/2	0.024
336/3	0.024
799	0.040

(1)	(2)
800	0.097
योग 39	1.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मोपकी उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2009

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 14/अ.82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नकटी, प. ह. नं. 112
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.798 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110/4	0.211
112/1-3	0.301
179/4-32	1.708
179/19	0.451
179/20	0.226
179/21	0.040
179/22	0.100
179/24-30	0.460
179/25	0.300
179/29-49	0.500
179/33	0.010
179/34	0.330
179/35	0.400
179/36	0.040
179/40	0.120
179/48	0.750
179/55	0.360
179/66	0.050
179/67	0.123
179/68	0.067
179/70	0.300
181/1	0.101
181/2-3-4-5	0.390
181/11	0.101
181/12	0.201
185/1-2	0.031
585/3	0.036
585/5	0.304
585/6-10-11	0.700
585/8	0.093
585/9	0.010
585/12-14-15	0.641
585/13	0.190
585/16-21-23	0.187
585/17	0.040
585/19-20	0.550
585/22	0.076
625/3	0.300
योग 38	10.798

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नई राजधानी योजनांतर्गत 6 लेन एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक/286/08/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-कुसुमकसा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
653	0.01
686/2/2	0.03
662	0.01
665	0.01
669	0.03
670	0.01
679	0.12
681	0.05
663/2	0.09
659/2	0.08
684	0.03
663/3	0.20
668	0.05
683	0.03
678	0.09
680	0.04
663/1	0.04
686/3	0.11
योग 18	1.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहरनाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक/287/22 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-अरमुरकसा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97	0.04
98	0.06
102	0.17
99	0.05
74	0.14
69/2	0.07
70/2	0.01
67	0.09
121	0.14
144	0.03

(1)	(2)
147	0.01
141	0.05
179	0.08
143	0.07
142/2	0.10
146	0.08
142/1	0.10
72/2	0.16
73/2	0.10
69/3	0.02
66	0.02
122/2	0.04
145	0.07
133	0.02
173	0.10
175	0.22
योग 26	2.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहरनाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक/288/21 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-मड़ियाकट्टा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
50/2	1.10
योग 1	1.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 मार्च 2009

क्रमांक/353/01 अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-माटरी, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.63 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
350	0.46
242	0.14
243	0.35
191	0.08
187/1	0.05
186/2	0.06
182/1	0.06
181	0.11
245	0.52

(1)	(2)
246	0.03
189	0.50
187/2	0.06
187/3	0.02
186/1	0.06
182/2	0.13
योग 15	2.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायगढ़
  (ख) तहसील-लैलूंगा
  (ग) नगर/ग्राम-लोहड़ापानी, प. ह. नं. 08
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.511 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
324	0.116
325	0.340
340	0.660
403	0.080
426	0.190
344	0.450
427	0.150
416	0.104
336	0.910
346	0.340
347	0.210
337	0.450
402	0.012
431	0.520
406	0.340
351/2	0.809
356	0.440
357	0.120
405	0.216
408	0.012
358	0.740
415	0.168
425	0.160
414	0.350
428	0.130
417	0.540
418	0.590
419	0.364
योग 28	9.511

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोहड़ापानी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-लैलूंगा

(ग) नगर/ग्राम-खम्हार, प. ह. नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.909 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	200	0.448
	201	1.057
	203	0.404
योग	3	1.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्कयता है-झरन जलाशय योजना के स्पील चैनल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-लैलूंगा

(ग) नगर/ग्राम-सलखिया, प. ह. नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.184 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	92/5	0.048
	92/6	0.048
	93	0.088
योग	3	0.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेंलवाटोली जलाशय के एलबीसी नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-लैलूंगा

(ग) नगर/ग्राम-सलखिया, प. ह. नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.652 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
107/2	0.040
106	0.060
107/1	0.020
107/3	0.020
107/4	0.020
97/2	0.008
255/3	0.064
255/4	0.040
255/2	0.062
255/5	0.052
261/3	0.024
260	0.008
263/2	0.020
263/3	0.120

(1)	(2)
264/2	0.008
263/4	0.078
263/5	0.008
योग 17	0.652

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेंलवाटोली जलाशय योजना के आरबीसी नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-भेंलवाटोली, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.348 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
162	0.132
163/1	0.048
1/7	0.088
1/11	0.058
1/3	0.012
2	0.024
3	0.020
5/1	0.032
55/16	0.068
5/2	0.034
5/3	0.052
6	0.260
5/5	0.020
31/4	0.104
55/8	0.184
55/15	0.028
55/17	0.060
60/10	0.036
60/15	0.088
योग 19	1.348

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेंलवाटोली जलाशय योजना के एलबीसी नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-भेंलवाटोली, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
175/7	0.148
174/4	0.072
174/2	0.048
174/5	0.120
योग 4	0.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेंलवाटोली जलाशय योजना के आरबीसी नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-लैलूंगा
(ग) नगर/ग्राम-कूपाकानी, प. ह. नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.583 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
512	0.304
515	3.139
537/1	0.131
537/2	0.327
539	0.190
555/1	0.830
538	0.050
540	0.210
554	0.560
552/1	0.198
552/2	0.202
552/3	0.202
553	0.490
558	0.202
555/2	0.160
559	0.162
560	2.226
योग 17	9.583

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवश्यकता है-कूपाकानी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक/2199/ज्ये. लि.-1/2009.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे- उल्टी-दस्त, आन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की सम्भावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाए हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपात्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ अधिनियम, 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं संजय गर्ग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियां, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आइस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ. ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य

अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, सहायक खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगरपालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्ण सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

संजय गर्ग,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 12 मार्च 2009

क्रमांक 16/बारह-11/ज्ये. लि.-द्वितीय/2009.—बस्तर जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारंभ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे- उल्टी-दस्त, आन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना बनी रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाए हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपात्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ अधिनियम, 1983 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं मनोहर सिंह परस्ते, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण बस्तर जिला को आगामी 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टेण्ड के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियां, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आइस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छत्तीसगढ़ आपात्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जगदलपुर, सहायक खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगरपालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण का सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के निर्देश दिये जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्ण सावधानी के रूप में प्रसारित किया जा रहा है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 6 मार्च 2009

क्रमांक 2536/अधीक्षक/2009.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक-बी/1-1/2009/एक/4, रायपुर दिनांक 28 फरवरी 2009 के द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री के. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा का स्थानांतरण प्रबंधक (भू-अर्जन/संपदा) नया रायपुर विकास प्राधिकार रायपुर के स्थानांतरण के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 12269/अधीक्षक/2008, दिनांक 07-11-2008 को अधिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य निम्नानुसार कार्य बंटन/कार्य विभाजन किया जाता है.

1. **श्री पी. एल. निहालानी, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी**
   1. अपर कलेक्टर (नजूल)
   2. डिप्टी कलेक्टरों/जिला अधिकारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के अवकाश, वेतनवृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
   3. नोडल अधिकारी (खाद्य शाखा)
   4. नगर सेना
   5. पासपोर्ट

   प्रभारी अधिकारी
   1. लायसेंस
   2. भू-अर्जन/भूमि बंटन
   3. सांख्य लिपिक

   कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

2. **श्री आर. एक्का, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर**
   1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य)
   2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय)

   कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

3. **श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर**
   प्रभारी अधिकारी
   1. भू-अभिलेख
   2. व्यवहारवाद
   3. राजस्व आंकिक
   4. अल्प बचत
   5. पर्यावरण शाखा
   6. सूचना के अधिकार
   7. सहायक अधीक्षक (विविध)
   8. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
   9. जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा
   10. स्वास्थ्य शाखा (कलेक्टर कार्यालय)
   11. सहायक अधीक्षक (सामान्य)
       (पुरातत्व एवं पर्यटन, आरबीसी के प्रकरण, सोलिशयम फंड/संजीवनी)
   12. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम
   13. आपदा एवं राहत शाखा
   14. भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच

   कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

4. **श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी

1. सिटी मजिस्ट्रेट
2. सत्कार अधिकारी
3. नजूल अधिकारी
4. भाड़ा नियंत्रक
5. वाचक कलेक्टर
6. वित्त एवं स्थापना
7. शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच
8. जनदर्शन/जनसम्पर्क
9. विशेष कक्ष

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

5. **सुश्री रेणुका श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन)**
प्रभारी अधिकारी

1. जिला नाजिर
2. प्रतिलिपि शाखा
3. प्रपत्र/लेखन सामग्री एवं मुद्रण
4. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल
5. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
6. आवक जावक
7. वरिष्ठ लिपिक/अति. वरिष्ठ लिपिक
8. राजस्व मोहर्रिर
9. सहायक अधीक्षक (राजस्व)
10. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
11. दंगा पीड़ित 1984
12. कम्प्युटर शाखा
13. नवोदय विद्यालय
14. सिटीजन हेल्प लाइन
15. जिला विकास शहरी अभिकरण
16. 20 सूत्रीय

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

6. **श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा**

1. **राजस्व**
   1. अनुविभागीय अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अन्तर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

2. आपराधिक

1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिये अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C. R. P. C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. विविध

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसम्पर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

7. **श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा**

1. राजस्व

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अन्तर्गत तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. आपराधिक

1. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील के लिये अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C. R. P. C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. विविध

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसम्पर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम के सामने दर्शाये गये अधिकारी उनको आबंटित कार्य का निष्पादन करेंगे.

क्र.	अधिकारी का नाम	संयोजन अधिकारी
1.	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर	श्री आर. एक्का, अपर कलेक्टर
2.	श्री आर. एक्का, अपर कलेक्टर	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर
3.	श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर
4.	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर
5.	सुश्री रेणुका श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू. संयुक्त कलेक्टर
7.	श्री एस. आर. कुर्रे, अ. वि. अ., कटघोरा	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर

अशोक अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-राजस्व अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2009

प्रारुप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 71/अ-82/07-08.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जिला बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 71/अ-82/07-08 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर परियोजना के लिए जल परिवहन के लिए भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोग के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26-9-08 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
बिलासपुर	मस्तुरी	दवनडीह / 36	95	0.16
		योग	01	0.16

प्रमोद शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th February 2009

No. 93/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judge Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Pooja Mehar, VI Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Bhatapara	Raipur	Civil Judge Class-II
2.	Shri Venseslas Toppo, IV Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Malkharoda	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Shri Pankaj Kumar Sinha, V Civil Judge Class-II & Special Railway Magistrate.	Bilaspur	Pamgarh	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
4.	Shri Prabhakar Gwal, V Civil Judge Class-II.	Durg	Jaijaipur	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
5.	Shri Yashpal Singh Tandon, IX Civil Judge Class-II.	Durg	Navagarh	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
6.	Smt. Urmila Gupta, I Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Kota	Bilaspur	Civil Judge Class-II
7.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan, V Civil Judge Class-II.	Raipur	Dongargarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 27th February 2009

No. 95/Confdl./2009/II-3-1/2008.—The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II (Entry Level) in the cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted at and placed in the capacity as shown against their names in column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting on 17-03-2009 positively :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Ku. Kiran Shukla, D/o Shri Sheetla Prasad Shukla, D. K. 1/120, Danish Kunj, Kolar Road, Bhopal (M. P.)-462402.	V Civil Judge Class-II, Bilaspur
2.	Shri Awadh Kishore, S/o Shri Siyaram Prasad, Flat No. A 1/172, Badri Awas Yojna, Rasulabad Allahabad (U. P.)-211004.	I Civil Judge Class-II, Ambikapur
3.	Shri Sanjay Agrawal, S/o Shri Brij Bhushan Agarwal, Behind Vidhi Vidhyalaya, Press Colony, Shahdol (M. P.)-484001.	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
4.	Shri Avinash Kumar Tripathi, S/o Shri Rajesh Kumar, C/o L. L. Shukla, District Judge, 14/140, Samiti Colony, Arun Nagar, Rewa (M. P.)-486001.	V Civil Judge Class-II, Raipur
5.	Smt. Shyamwati Maravi, W/o Shri Ved Singh Maravi, C/o B. S. Dhurve, Kiran Bada, Room No. 6, Chandni Chowk, Kurudand, Bilaspur 495001.	V Civil Judge Class-II, Durg
6.	Smt. Sushma Lakra, W/o Late Shri Yakub Lakra, S-2, M. I. G.-16, Housing Board Colony, Kabir Nagar, Post-Tatibandh, Raipur 492099.	IX Civil Judge Class-II, Durg

(1)	(2)	(3)
7.	Shri Anil Prabhat Minj, S/o Shri Jila Minj, Qr. No. H-6, Govt. Model Higher Secondary School Campus, Dakshin Bastar (Dantewara)-494449.	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Jashpur.
8.	Shri Ajay Kumar Xaxa, S/o Shri Alfred Xaxa, Village Chitkoin, Post Narayanpur, Tehsil Kunkuri, Dist. Jashpur-496225.	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
9.	Shri Digvijay Singh, S/o Late Shri Bhuneshwar Singh, 316, Vinayak Enclave, Anand Nagar, Raipur (C. G.).	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur

Bilaspur, the 27th February 2009

No. 97/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judges Class-I & Chief Judicial Magistrates as Specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Kiran Chaturvedi, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Rajnandgaon	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Class I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Blacious Toppo, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Dhamtari	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Hitendra Singh Tekam, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Bilaspur	Raipur	Raipur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 27th February 2009

No. 98/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judges Class-I as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) of the table below from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Mansoor Ahmed, II Civil Judge Class-I.	Kawardha	Bilaspur	Bilaspur	I Civil Judge Class I & Chief Judic al Magistrate.

Bilaspur, the 27th February 2009

No. 100/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Chief Judicial Magistrate as specified in Column No. (2), who has been promoted and appointed as District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government, is posted on the post as specified in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rajnish Shrivastava, I Civil Judge Class-I and Chief Judicial Magistrate.	Raipur	Raipur	Raipur	IV Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 5th March 2009

No. 03 (Mis)/I-7-3/2009 (Pt.-II).—Consequent upon the partial modification of Calendar for Subordinate Courts for the year 2009 made by Hon'ble the High Court, the Notification No. 82 (Mis)/I-7-3/2009 (Pt.-II), dated 06-12-2008 regarding the list of Holidays for the Subordinate Courts for the year 2009 is also partially modified and accordingly the 12th March, 2009 is declared as holiday on account of "Holi Festival".

By order of Hon'ble the High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.